न्यायालय जिला न्यायाधीश, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी – अल्का शर्मा, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मूल दीवानी प्रकरण सं. 11/2020
(CIS No. 11/2020)
(CNR No. RJRS010005212020)

1. शम्भुसिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह राजपूत, निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
2 जय सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह राजपूत, निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।

........वादीगण

विरूद्ध

1. गुलाब सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह राजपूत, निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द के बजायः–

1/1 श्रीमती सुआकंवर पत्नी स्व. श्री गुलाब सिंह निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

1/2 किशनसिंह पुत्र स्व. श्री गुलाब सिंह निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

1/3 गणपत पुत्र स्व. श्री गुलाब सिंह निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

1/4 श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह निवासी तकडियो का गुडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

1/5 श्रीमती फुलाकंवर पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह निवासी भुरवाडा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

1/6 श्रीमती सुगना कंवर पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह निवासी तकडियो का गुडा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

1/7 श्रीमती सुमित्रा कंवर पुत्री स्व. श्री गुलाब सिंह निवासी मियारी, तहसील व जिला राजसमन्द

2. नारायण सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह राजपूत, निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
3. गोवर्धन सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह राजपूत, निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
4. सुजान सिंह पुत्र स्व. भंवर सिंह राजपूत, निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।

5. श्रीमती सूरज कुंवर पत्नी स्व. भंवर सिंह राजपूत, निवासी हाक्यावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द।
6. राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार, आमेट, जिला राजसमंद

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन पुश्तैनी मकान, गवाडी व कृषि भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :

1. श्री गिरीश चन्द्र पुरोहित, विद्वान अधिवक्ता–वादीगण की ओर से।
2. श्री श्याम सुंदर पालीवाल, विद्वान् अधिवक्ता–प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/7 एवं 2 की ओर से।
3. श्री रितेश टुकलिया, विद्वान् अधिवक्ता– प्रतिवादी सं. 3, 4 व 5 की ओर से।
4. प्रतिवादी सं. 6 अनुपस्थित।

:: निर्णय :: **दिनाँक : 27.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण शम्भुसिंह व जयसिंह की ओर से प्रतिवादीगण गुलाबसिंह व अन्य के विरुद्ध दिनांक 26.05.2010 को एक वाद बाबत् विभाजन पुश्तैनी मकान, गुवाडी व कृषि भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य हैं और स्वर्गीय भंवर सिंह राजपूत के उत्तराधिकारीगण हैं जिनका पारिवारिक सजरा वाद पत्र की कलम संख्या–1 में वर्णित है। स्वर्गीय भंवर सिंह के स्वत्व एवं अधिकार का आवासीय मकान, गवाड़ी एवं खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम हाक्यावास, पटवार हल्का बीकावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द में स्थित हैं। भंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात् कृषि भूमियों का नामान्तरकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम खुल गया जो जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में दर्ज हैं। उक्त कृषि भूमि की खाता संख्या 16 हैं जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा हैं। स्वर्गीय भंवर सिंह के स्वामित्व के रिहायशी मकान, कमरे, बरामदे, चौक, गवाड़ी जो कि संयुक्त अविभाजित

हिन्दू परिवार की सम्पत्ति हैं, जिसका उपयोग–उपभोग भंवर सिंह के जीवनकाल से ही एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अपनी सुविधा के अनुसार करते आ रहे हैं। उक्त सम्पत्ति में दक्षिण दिशा में प्रविष्ठ होकर आगे बांयी तरफ पूर्व दिशा में दो कमरे मय बरामदा हैं एवं दो पक्की रसोई बनी हुई हैं, उसके आगे चौक हैं व चौक के आगे दो अण्डर ग्राउण्ड हॉल हैं, उसके सामने गवाड़ी हैं, उसके आगे रतन सिंह, फतेह सिंह का मकान हैं, इसके आगे उत्तर दिशा में दो कमरे निचे व दो कमरे उपर बने हुए हैं. उसके आगे बरामदा है व बांयी तरफ दो कमरे हैं, उसके आगे चौक व होद बने हैं एवं पश्चिम दिशा में तीन कमरे व तीन रसोई हैं व उसके सामने बरामदा हैं एवं उसके आगे गवाडी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 कई वर्षों तक शांतिपूर्वक सम्पत्ति का उपयोग उपभोग कर रहे थे परन्तु कोरोना काल का फायदा उठाकर मनमर्जी से निर्माण कार्य कराने लगे तथा इन्कार करने पर झगड़े पर आमादा हो गये। वादीगण द्वारा विभाजन के पश्चात् ही निर्माण कराने का कहने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 नहीं माने तथा स्वर्गीय भंवर सिंह के समय की खेती की भूमियां एवं रिहायशी मकान पर दुर्भावनापूर्वक निर्माण कार्य कराने लगे। उक्त गवाड़ी एवं रिहायशी मकान के पूर्व में अर्जुन सिंह का खेत, पश्चिम में रोड़ सिंह का मकान, उत्तर में फतेह सिंह व रतन सिंह का मकान व दक्षिण में आम रास्ता है। उपरोक्त चारों पड़ौसो के मध्य स्थित रिहायशी सम्पत्ति कमरे, चौक, रसोई, गवाड़ी आदि स्वर्गीय भंवर सिंह के समय की होकर अविभाजित संयुक्त जायदाद हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पति के निधन के पश्चात् ग्राम हाक्यावास की खाता संख्या 16 में वर्णित आराजीयात जिसका वर्णन वाद–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ (अ) में किया गया हैं जो वाद–पत्र का अभिन्न अंग हैं। उक्त अविभाजित संयुक्त, स्वामित्व, आधिपत्य की सम्पत्तियां हैं। उक्त सम्पत्तियों में से आवासीय मकान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 मनमकसूद तरीके से अविभाजित सम्पत्तियों पर नये सिरे से निर्माण कार्य करने पर आतुर हो रहे हैं और

व्यर्थ के विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। वादीगण ने अविभाजित सम्पत्तियों में बिना विभाजन के निर्माण कार्य नहीं करने एवं व्यर्थ में विवाद नहीं करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा विभाजन करने का विश्वास दिलाकर लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू हो गये और विभाजन कराने से इन्कार कर दिया। उक्त अविभाजित संयुक्त सम्पत्ति का विधिवत् रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं जिससे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 का अलग–अलग हिस्सा तय हो सके। वाद हेतुक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अविभाजित सम्पत्ति में नये सिरे से निर्माण कार्य कराने पर आतुर होने एवं मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करने विभाजन से इन्कार कर देने से उत्पन्न होकर लगातार जारी हैं। अंत में वादीगण ने निवेदन किया कि उनके पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश यकी डिक्री पारित की जावे कि वाद–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ (अ) में वर्णित कृषि भूमि एवं वाद–पत्र के पैरा संख्या 6 में वर्णित पड़ौसो के मध्य स्थित आवासीय मकान, गवाड़ी का विभाजन कर प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री पारित की जाकर वादीगण का 1/7 – 1/7 हिस्सा पृथक कर दिलाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 5 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ (अ) में वर्णित सम्पत्ति तथा वाद–पत्र की कलम संख्या 6 में वर्णित पड़ौसो के मध्य स्थित मकान, गंगवाड़ी में विधिवत् विभाजन कराये बिना किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करावे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर, चाकर, एजेण्ट, कारीगर आदि से करावे, इस हेतु निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को पाबन्द किया जावे। इसके साथ ही दौराने सुनवाई यदि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा किसी प्रकार का नाजायज कृत्य कर दिया जाता है तो उसे आदेशात्मक आज्ञा से हटवाया जाकर वर्तमान स्थिति कायम कराई जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया गया कि प्रतिवादी संख्या एक गुलाबसिंह, भंवरसिंह के जायन्दा पुत्र

हैं परन्तु भंवरसिंह ने जवाहरसिंह के स्वर्गवास पश्चात् जवाहरसिंह की माता मेहताब कुवंर पत्नि वेणसिंह जी ने प्रतिवादी गुलाबसिंह को गोद लिया है इसलिए गुलाबसिंह के पिता का नाम वेणसिंह हैं तथा गुलाबसिंह, वेणसिंह के हिस्से की जायदाद पर काबिज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वेणसिंह व जवाहरसिंह के उत्तराधिकारी हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 स्व० भंवरसिंह के उत्तराधिकारी हैं। परिशिष्ट (अ) में वर्णित आराजियात भंवरसिंह की एवं गुलाबसिंह मुतबन्ना वेणसिंह के खातेदारी आधिपत्य उपयोग उपभोग की हैं। वेणसिंह के पुत्र जवाहरसिंह एवं वेणसिंह की पत्नि मेहताब कुवंर थी। जवाहरसिंह का मेहताब कुवंर के जीवनकाल में स्वर्गवास हो गया तो मेहताब कुवंर पत्नि वेणसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 गुलाबसिंह को गोद लिया। इस तरह गुलाबसिंह मुतबन्ना वेणसिंह प्रतिवादी संख्या 1 स्व० जवाहरसिंह पिता वेणसिंह की जायदाद का वारिस रहा हैं। जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के खातेदारी की भूमि भी स्व० भंवरसिंह के पिता भूरसिंह के खातेदारी में अंकित हो जाने पर तारीख 05.09.2002 स्व० भंवरसिंह एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 ने गलत अंकन को स्वीकार कर जवाहरसिंह पिता वेणसिंह की जो सम्पतियां हैं वह जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के उत्तराधिकारी गुलाबसिंह पिता वेणसिंह के नाम अंकित करा देने की लिखतम कर दी। इसी अनुसार विभाजन प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 2 अपने मकान में आवश्यकता जनित निर्माण कार्य करा रहा हैं जिसे रूकवाने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं हैं। उक्त मकान की छते एवं दिवारी में टूट पफुट हो रही है और बरसात का पानी अन्दर टपक रहा है तथा दिवारो को नुकसान हो रहा है जिसे दुरस्त कराना आवश्यक हैं, बिना इसके मकान क्षतिग्रस्त हो जाएगा और जन हानि होने की संभावना है इस कारण मकान की सुरक्षार्थ आवश्यकता जनित सुधार कराया जाना आवश्यक हैं। वादीगण विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं। अंत में वादीगण का वाद खारिज किए जाने का निवेदन

किया।

3. प्रतिवादी संख्या—2 नारायणसिंह ने जवाबदावा प्रस्तुत कर यह अभिवचनित किया कि वादी ने गलत सजरा अंकित किया हैं। प्रतिवादी संख्या एक गुलाबसिंह, भंवरसिंह के जायन्दा पुत्र हैं परन्तु भंवरसिंह ने जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के स्वर्गवास पश्चात् जवाहरसिंह की माता मेहताब कुवंर पत्नि वेणसिंह को प्रतिवादी गुलाबसिंह जो गोद दिया इसलिए गुलाबसिंह के पिता का नाम वेणसिंह हैं तथा गुलाबसिंह, वेणसिंह के हिस्से की जायदाद पर अधिकारी होकर जवाहरसिंह की जायदाद पर काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वेणसिंह व जवाहरसिंह के उत्तराधिकारी हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 स्व० भंवरसिंह के उत्तराधिकारी हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 अपने अपने हिस्से में आई जगह में निवास कर रहे हैं। भंवरसिंह का जो मकान एवं भूखण्ड थे वो जवाब दावा के साथ सलंग्न परिशिष्ट—एक में A,B,C,D,E,F,G,H,I,J के मध्य एव K,L,M,N,O,P,Q,R के मध्य की सम्पति रही। उक्त सम्पति में S,T,U,F के मध्य दो मंजिला मकान हैं जो (अ) व (ब) मार्क के हैं। (अ) वाले मकान में उत्तर निचे दो कमरे, दो बरामदे, नाल एवं लैट्रीन बाथरूम बने हुए हैं तथा (ब) मार्क वाले मकान में भी उत्तर निचे दो कमरे, दो बरामदे एवं लैट्रीन बाथरूम व पोल बनी हुई हैं तथा W,U,G,V के मध्य (स) मार्क के मकान में 7 कमरे ग्राउन्ड फ्लोर पर एवं बरामदा, नाल, लैट्रीन वाथरूम तथा इन कमरो व बरामदे के उपर प्रथम मंजिल में पांच कमरे एवं बरामदा बना हुआ हैं। परिशिष्ट में C,D,H,V के मध्य (द) मार्क का खुला चौक सामलाती एवं A,B,I,J के मध्य (य) मार्क से दर्शित अलग—अलग भूखण्ड हैं जिनमे जयसिंह के पास जो भूखण्ड हैं, उसमे लैट्रीन बाथरूम बने हुए हैं। परिशिष्ट एक में K,L,M,N के मध्य मकान हैं जिसे (र) मार्क से अंकित कर रखा हैं जिसमें 5 कमरे बने हुए हैं। उक्त मकान का उत्तरी भाग जिसमे 3 कमरे एवं लैट्रीन बाथरूम नाल के निचे बनी हुई हैं, वह सुजानसिंह के हिस्से में हैं, दो कमरे प्रतिवादी संख्या 2 नारायणसिंह के हिस्से में हैं। प्रतिवादी संख्या 2 नारायणसिंह सपरिवार मुम्बई रहते हैं

वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण अपने गांव आये और अपने घर में लैट्रीन बाथरूम की व्यवस्था नहीं होने से बाहर खुले में शौच करना पडने से लैट्रीन बाथरूम का कार्य करवाया तथा प्रतिवादी संख्या 2 नारायण सिंह के आपसी पारिवारिक मौखिक विभाजन से जो खेत आये जो प्रतिवादी संख्या 2 नारायणसिंह, वादीगण से सिजारे कास्त करवाता था, उन खेतो पर स्वंय काश्त करने का कहने से वादीगण नाराज हो गये तथा गलत बयानी करते यह वाद प्रस्तुत किया हैं। वादीगण ने कृषि भूमियों के विभाजन का वाद गलत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं। कृषि भूमियो के संबंध में वाद की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 207 के तहत उक्त वाद इन सम्पतियो के लिए चलने योग्य नहीं हैं। परिशिष्ट (अ) में वर्णित आराजियात भंवरसिंह पिता भूरसिंह की एवं गुलाबसिंह मुतबन्ना वेणसिंह के खातेदारी आधिपत्य उपयोग उपभोग की हैं। वेणसिंह के पुत्र जवाहरसिंह एवं वेणसिंह की पत्नि मेहताब कुवंर थी। जवाहरसिंह का मेहताब कुवंर के जीवनकाल में स्वर्गवास हो गया तो मेहताब कुवंर पत्नि वेणसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 गुलाबसिंह को गोद लिया। इस तरह गुलाबसिंह मुतबन्ना वेणसिंह प्रतिवादी संख्या 1 स्व० जवाहरसिंह पिता वेणसिंह की जायदाद का वारिस रहा हैं। जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के खातेदारी की भूमि भी गलत रूप से स्व० भंवरसिंह के पिता भूरसिंह के खातेदारी में अंकित हो जाने पर तारीख 05.09.2002 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 ने गलत अंकन को स्वीकार कर जवाहरसिंह पिता वेणसिंह की जो सम्पतियां हैं, वह जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के उत्तराधिकारी गुलाबसिंह पिता वेणसिंह के नाम अंकित करा देने की लिखतम कर दी। इसी अनुसार से विभाजन से भूमियां प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 2 अपने मकान में आवश्यकता जनित निर्माण कार्य करा रहा हैं जिसे रूकवाने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं हैं एवं वादीगण प्रतिवादी संख्या— 2 के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं हैं। अंत में वादीगण का वाद सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रतिवादीगण सं. 3, 4 व 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए विशेष कथन में अंकित किया कि स्व. भंवर सिंह के छह पुत्र हुए जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत चार तथा भंवर सिंह पत्नी श्रीमती सूरज कुंवर है जो प्रतिवादी संख्या पांच है। प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा अपने प्रतिप वाद गलत सजरा पेश किया है। वेनसिंह का पुत्र जवाहर सिंह गलत बताया गया है, जबकि जवाहर सिंह, वेनसिंह का पुत्र नहीं होकर स्वर्गीय राजसिंह का पुत्र था। राज सिंह के दो पुत्र हुए जिनका नाम भूरसिंह व जवाहरसिंह है। जवाहर सिंह, भूर सिंह के छोटे भाई थे और उनका बाल्यकाल में विवाह कर दिया गया था, तथा उनक पहली पत्नी श्रीमती जस्सु कुंवर थी, जिनका बाल्य काल में निधन हो चुका है। दूसरी पत्नी नैनु कुंवर थी, नैनु कुंवर के जवाहर सिंह से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई और वह लाऔलाद फोत हो गई। वेनसिंह के पिता डुलेसिंह थे और डुलेसिंह, हेमसिंह के दूर के रिस्तेदारी में लगते थे और उनका राजसिंह से कोई सीधा रिस्ता नहीं था। मात्र एक ही गाँव में रहने के कारण वेनसिंह दूर के रिस्तेदार थे। वेनसिंह दो शादीयों की थी जो बाल्यकाल में ही की थी। पहला विवाह गाँव कुवाथल में वख्तावर कुंवर से हुआ था जिनका निधन हो चुका है तथा दूसरा विवाह मेहताब कुंवर के साथ किया था। शादी के कुछ दिन बाद ही वेनसिंह का निधन हो गया था तथा उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। मेहताब कुंवर आजीवन विधवा रही और प्रतिवादी संख्या पांच सूरज कुंवर के साथ ही ताउम्र रही। प्रतिवादी संख्या पांच सूरज कुंवर ने ही मेहताब कुंवर को अपने साथ रखा। जब वेनसिंह की मृत्यु हुई तब मेहताब कुंवर की उम्र 20 वर्ष की थी और मेहताब कुंवर की मृत्यु 2018 में हुई थी। मेहताब कुंवर वेनसिंह की पत्नी अवश्य थी परन्तु वेनसिंह के पिता डुलेसिंह थे और डुलेसिंह के पिता का नाम अनोपसिंह था। वाद पत्र के साथ सलंग्न परिशिष्ट (अ) में वर्णित भूमियां भूरसिंह के समय की है और भूरसिंह के निधन के पश्चात उनके पुत्र भंवर सिंह को विरासत से प्राप्त हुई थी। और भंवर सिंह के निधन के बाद वादग्रस्त कृषि भूमियां व मकान

वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से चार उतराधिकारी व प्रतिवादी संख्या पांच उनकी पत्नी होने से वारिस उत्तराधिकारी है। वाद पत्र के साथ सलंग्न परिशिष्ट (अ) में वर्णित सम्पतियां कभी भी जवाहर सिंह पिता वेन सिंह के नाम खातेदारी अधिकार से कभी दर्ज नहीं रही एवं मेहताब कुंवर का पुत्र जवाहर सिंह नहीं है, बल्कि जवाहर सिंह की माता का नाम अनोप कुंवर है जो राज सिंह की पत्नी है। मेहताब कुंवर जवाहर सिंह की माता नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा अपने प्रतिप वाद पत्र में गलत तथ्यों का वर्णन दुर्भावना पूर्वक अंकित किये हैं। श्रीमती मेहताब कुंवर ने प्रतिवादी संख्या एक को कभी दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं किया और न ही किसी प्रकार की गोद की रस्म परिवार में सम्पन्न हुई। गोद देने वाले प्रतिवादी संख्या पांच ने कभी मेहताब कुंवर को गुलाब सिंह (प्रतिवादी सख्या एक) को नहीं सौंपा और न ही गौद की कोई सामाजिक औपचारिकताएं पूरी की गई। वाद पत्र के साथ सलंग्न परिशिष्ट (अ) मे वर्णित सम्पतियां संयुक्तः परिवार की है, जिनका विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उक्त सम्पतिंयां संयुक्तः परिवार की अविभाजित सम्पतियां है जिनका मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जाना आवश्यक है जिसमें प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा है। अंत में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त सम्पत्तियां कृषि भूमियां व बाडों का विधिवत विभाजन किया जाकर विभाजन की प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया।

5. प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिदावा पेश कर यह अभिवचनित किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 स्व० भंवरसिंह के पुत्र हैं तथा प्रतिवादी सख्या 1 के प्राकृतिक पिता स्व० भंवर सिंह हैं। सभी हिन्दु विधि अधिशाषित हैं। स्व० वेनसिंह का सजरा प्रतीपवाद के कलम संख्या–1 में वर्णित है। वेन सिंह के जवाहर सिंह पुत्र एंव मुस्मात मेहताब पत्नि होकर वारिस रहे। परिशिष्ट 1 (अ) में वर्णित साबिक आराजीयात जवाहर सिंह पिता वेनसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों मे खातेदारी हक अधिकार से दर्ज रही। जवाहर सिह के कोई पुत्र नहीं होने से उनकी मृत्यु उपरान्त जवाहर सिंह की माता मुसम्मात मेहताब ने प्रतिवादी संख्या 1 गुलाब सिंह को

जाति रिति रिवाज अनुसार अपने स्व० पति एंव स्वयं के लिए गोद लिया। प्रतिवादी संख्या 1 के प्राकृतिक पिता भंवर सिंह ने स्व० जवाहर सिंह पिता वेन सिंह की माता मुस्मात मेहताब बाई उर्फ मेहताब कुंवर पत्नि वेन सिंह को गोद दिया। वादीगण एंव प्रतिवादीगण की जाति में किसी भी उम्र के व्यक्ति को एंव शादी शुदा को गोद लिया व दिया जाने की रूढी व प्रथा हैं। राजस्व गांव हाक्यावास तहसील आमेट के साबिक आराजी नम्बर 314 लगायत 334 एंव 482, 483, 490, 138, 141, 142, 495, 496, 601, 604, लगायत 614 कुल किता 41 कुल रकबा 50 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्व० जवाहर सिंह पिता वेण सिंह उर्फ वेन सिंह निवासी हाक्यावास के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की रही। जवाहर सिंह पिता वेण सिंह उर्फ वेन सिंह का स्वर्गवास के पश्चात् उनकी माता मेहताब बाई उर्फ मेहताब कुंवर बेवा वेन सिंह वारिस रही, परन्तु भूरसिंह पिता राजसिंह निवासी हाक्यावास ने गलत रूप से पंचायत वालों से मिलिभगत कर अवैध रूप ये आराजीयात को अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया। जबकि कानुनन भूरसिंह पिता राजसिंह राजपुत स्व० जवाहर सिंह पिता वेन सिंह के उत्तराधिकारी नहीं हैं। स्व० जवाहर सिंह मृत्यु के परान्त उत्तराधिकारी माता मेहताब कुंवर उर्फ मेताब कुंवर पत्नि वेनसिंह विरासत से हक अधिकारी रही। प्रतिवादी संख्या 1 गुलाबसिंह, मेहताब कुंवर पत्नि वेनसिंह का गोद पुत्र होकर विधिक उत्तराधिकारी हैं। वादग्रस्त मकान का 1/2 भाग एंव प्रतिप वाद के कॉलम संख्या–4 में वर्णित आराजीयात का एक मात्र स्वामी प्रतिवादी संख्या 1 होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदार कृषक के हैसियत से दर्ज किये जाने योग्य हैं। काउन्टर क्लेम के पैरा संख्या 4 में वर्णित जायदाद गलत रूप से स्व० जवाहर सिंह के बजाय अवैध नामान्तरकरण भुरसिंह के नाम दर्ज हुआ और उनकी मृत्यु उपरान्त भंवर सिंह पिता भूर सिंह के नाम दर्ज हो गया। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर स्व० जवाहर सिंह पिता वेण सिंह उर्फ वेन सिंह की उत्तराधिकारी जवाहरसिंह की माता मु० मेहताब कुवंर उर्फ मेहताब कुवंर के बाद मेहताब कुवंर का गोद पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 होने एंव उनकी सम्पतियाँ प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त

हुई परन्तु राजस्व अभिलेखों में गलत रूप से वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 के पूर्वाधिकारी भूरसिंह एवं भूरसिंह के बाद उनके पुत्र भंवर सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो जाने पर उक्त भूमियो को वापस प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करा देने के लिए दिनांक 05.09.2002 को लिखितम भी कर दी जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 4 ने भी अपने हस्ताक्षर किये। अंत में प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 स्व० मेहताब उर्फ मेताब बाई पत्नि वेणसिंह उर्फ वेन सिंह निवासी हाक्यावास का गोद पुत्र हैं तथा स्व० जयसिंह पिता वेन सिंह निवासी हाक्यावास की समस्त चल अचल सम्पति वादग्रस्त मकान एवं प्रति पवाद के साथ सलंग्न परिशिष्ट (ब) में वर्णित आराजियात का एक मात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 हैं। प्रतिवादी संख्या–1 ने वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का भी निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 1 के हक अधिकार की सम्पतियों पर उसके आधिपत्य उपयोग उपभोग में बाधा एंव दखलन्दाजी कारित नहीं करे, विक्रय आदि द्वारा अन्तरित नहीं करे, भूमियों के स्वरूप को परिवर्तित नहीं करें और दौराने कार्यवाही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 नाजायज कृत्य कर देवे तो आज्ञापक व्यादेश के जरिये पूर्व स्थिति कायम कराई जावे।

6. वादीगण ने प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा का जवाब पेश कर निवेदन किया कि स्व. भंवर सिंह के 6 पुत्र हुए, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक से लगायत चार है तथा भंवर सिंह की बेवा श्रीमती सूरज कुंवर है, जो प्रतिवादी संख्या पाचं है। वेनसिंह के दो पत्नियां थी जो दोनो लाऔलाद फौत हुई। जवाहरसिंह वेनसिंह का पुत्र नहीं होकर स्व. राजसिंह का पुत्र था जिनका सजरा प्रतिप वाद के जवाब की कलम संख्या–1 में वर्णित है। राजसिंह के दो पुत्र हुए जिनका नाम भूरसिंह व जवाहरसिंह है। जवाहर सिंह, भूर सिंह के छोटे भाई थे, उनका बाल्यकाल में विवाह कर दिया था। पहली पत्नी श्रीमती जस्सु कुंवर के

साथ हुआ था जिनका बाल्य काल में ही उनका निधन हो गया था। उसके बाद उसकी शादी गॉव कलामतो का खेडा निवासी केसर सिंह की लडकी नैनु कुंवर के साथ हुई। नैनु कुंवर के जवाहर सिंह से कोई संतान नहीं हुई व लाऔलाद फोत हो गई। वेनसिंह के पिता डुलेसिंह थे, और डुलेसिंह, हेमसिंह के दूर के रिस्तेदारी में लगते थे और उनका स्व. हेमसिंह से राजसिंह से कोई सीधा नाता नहीं था। वेन सिंह की दूसरी पत्नी मेहताब कुंवर से शादी के कुछ दिन बाद ही वेनसिंह का निधन हो गया और उसके कोई संतान नहीं हुई। मेहताब कुंवर आजीवन विधवा रही और प्रतिवादी संख्या पांच जो वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या एक से चार की माता है, के साथ ही रही थी। श्रीमती सूरज कुंवर ने ही मेहताब कुंवर को अपने साथ रख कर उसका आजीवन साथ निभाया। जवाहर सिंह के पिता का नाम राजसिंह था, वेन सिंह नहीं था और मेहताब कुंवर, वेन सिंह की पत्नी अवश्य थी, परन्तु वेनसिंह के पिता डुलेसिंह थे। स्व. राजसिंह के समय की कृषि भूमियां वादग्रस्त सम्पतियां है तथा मकान भी राजसिंह के मरने के बाद भूरसिंह को प्राप्त हुआ। भूरसिंह का भाई जवाहर सिंह लाऔलाद फौत हो गया और भूरसिंह के निधन के बाद उसके पुत्र भंवरसिंह को वादग्रस्त मकान व कृषि भूमियां विरासत से प्राप्त हुई। भंवरसिंह के निधन के बाद वादगस्त कृषि भूमियां व मकान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक से पांच का उत्तराधिकारी होने से बोना फाईट राईट जन्म से अधिकार है जो होकर संयुक्तः हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पति है, जिनके मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन हेतु न्यायालय में दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिप वाद के आधार पर फर्जी सजरा पेश कर फर्जी तरीके से लिखापढी को आधार बनाकर जो दावा पेश है उससे वादीगण के विधिक अधिकारों का कोई हनन नहीं होता है। अंत में प्रतिवादी संख्या–1 का प्रतीपवाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2023 को निम्न विवाद्यक विरचित किये गये :–

(1). आया ग्राम हाक्यावास, पटवार हलका बीकावास, तहसील आमेट में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय भंवरसिंह के स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय मकान, गवाड़ी व खातेदारी कृषि भूमियां, जिनका विवरण वाद पत्र की पैरा संख्या 2 व 5 तथा परिशिष्ट (अ) में वर्णित है, पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवाद सं. 1 से 5 का हिस्सा विद्यमान है?

......वादीगण

(2). आया वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र में वर्णित सम्पत्ति पुश्तैनी मकान, गवाड़ी, कृषि भूमियां, जिनका विवरण वाद पत्र की मद सं. 2 व 5 तथा परिशिष्ट (अ) में है, में सहदायिकी के आधार पर हिस्सा होकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 स्वर्गीय भंवरसिंह के उत्तराधिकारी होने से उक्त सम्पत्ति में 1/7 –1/7 हिस्से की मीट्स एंड बाउंडस के आधार पर विभाजन की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं?

......वादीगण

(3). आया प्रतिवादी सं.1 गुलाबसिंह, जो भंवरसिंह का प्राकृतिक पुत्र है, को जवाहरसिंह की माता मेहताब कुंवर पत्नी वेणसिंह ने जवाहरसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् गोद लिया, इस प्रकार प्रतिवादी सं.1 गुलाबसिंह, वेणसिंह व जवाहरसिंह का उत्तराधिकारी होने से परिशिष्ट (अ) में वर्णित आराजीयात भंवरसिंह पुत्र भूरसिंह व प्रतिवादी सं.1 गुलाबसिंह मुतबन्ना वेणसिंह की खातेदारी व आधिपत्य की हैं ?

–––प्रतिवादी सं.1

(4). आया राजस्व ग्राम हाक्यावास तहसील आमेट में आराजी नंबर 314 से 334 एवं 482,483, 490, 138, 141, 142, 495, 496, 601, 604 लगायत 614 कुल किता 41 कुल रकबा 50 बीघा 6 बिस्वा स्व० जवाहरसिंह के खातेदारी व अधिपत्य की रही, किंतु भूरसिंह द्वारा गलत रूप से उक्त आराजियात का स्वयं के नाम नामान्तरण खुलवा लिया और उसके पश्चात् उक्त आराजियात भूरसिंह के पुत्र भंवरसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई?

–––प्रतिवादी सं.1

(5). अनुतोष?

8. साक्ष्य वादीगण में वादी पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी. ड.01 शम्भुसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में जमाबंदी

की नकल प्रदर्श 01, वादग्रस्त मकान के फोटोग्राफ्स प्रदर्श 02 लगायत 06, नामांतरण जवाहरसिंह प्रदर्श 07, जमाबंदी संवत् 2015 की नकल प्रदर्श 08 एवं वादग्रस्त मकान का फोटो प्रदर्श 09 के रूप में प्रदर्शित करवाये।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से साक्ष्य में डी.ड.1 किशनसिंह, डी.ड.2 नारायणसिंह, डी.ड.3 सुरज कंवर एवं डी.ड.4 गोवर्धनसिंह की साक्ष्य लेखबद्ध की गई और दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त मकानों का नजरी नक्शा प्रदर्श ए1, वादग्रस्त मकान का फोटो प्रदर्श ए2, कोषाधिकारी का पत्र प्रदर्श ए3, लिखतम संवत् 2059 प्रदर्श ए4, निर्वाचन कार्ड प्रदर्श ए5 जिसकी फोटोप्रति ए5ए, जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के नाम की जमाबंदी प्रदर्श ए6, नामांतरण प्रदर्श ए7, संवत् 2018 से 2031 की जमाबंदी प्रदर्श ए8 एवं खसरा पत्रक प्रदर्श ए9, मेताब कुंवर का निर्वाचन कार्ड प्रदर्श ए10 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श ए10ए, गुलाबसिंह का निर्वाचन कार्ड प्रदर्श ए11 जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श ए11ए को पेश कर प्रदर्शित करवाए।

9. दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता वादीगण की ओर से तर्क दिया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 स्व. भंवरसिंह जी के पुत्र एवं प्रतिवादी सं. 5 स्व. भंवरसिंह जी की पत्नी होने से भंवरसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं, इसलिये स्वर्गीय भंवरसिंह के स्वत्व व अधिकार के ग्राम हाक्यावास, पटवार हल्का बीकावास, तहसील आमेट में स्थित आवासीय मकान, गवाड़ी एवं खातेदारी कृषि भूमियों में प्रत्येक पक्षकार का 1/7 हिस्से पर अधिकार है। उनका यह भी तर्क रहा कि सभी पक्षकार अपने हिस्से अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहे थे, परन्तु प्रतिवादीगण बिना विभाजन के ही अपनी मर्जी से निर्माण कार्य कर रहे हैं, इसलिये वादग्रस्त सम्पत्ति सहदायिकी सम्पत्ति होने से सभी पक्षकार में हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जाना आवश्यक है। लिहाजा वादीगण के पक्ष में वादग्रस्त सम्पत्ति के मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने तर्क दिया कि प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह, भंवरसिंह का प्राकृतिक पुत्र है, लेकिन

भंवरसिंह ने जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के स्वर्गवास के स्वर्गवास के पश्चात् जवाहरसिंह की माता मेहताब कुंवर को स्व. भंवरसिंह ने दत्तक दिया था, इसलिये गुलाबसिंह वेणसिंह का वारिस होकर उसके हिस्से की जायदाद का का अधिकारी होकर जवाहरसिंह की जायदाद पर काबिज है और यह तथ्य प्रतिवादी साक्षी डी.डब्ल्यू. 1 किशनलाल ने भलीभांति साबित किया है। विद्वान् अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि जवाहरसिंह की मृत्यु के बाद भूरसिंह ने प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह नाबालिग होने से नाजायज लाभ उठाते हुए दस्तावेज प्रदर्श ए–7ए लिखतम के जरिये जवाहरसिंह की जमीन को पंचायत से मिलीभगत कर अपने नाम करवा लिया था, परन्तु प्रतिवादी साक्ष्य में पेश किये गये दस्तावेज प्रदर्श ए–4ए लिखतम से भंवरसिंह पिता भूरसिंह द्वारा उसके खाते में दर्ज वेनसिंह की भूमि को प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज करवाना एवं प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह को वेनसिंह के गोद रखे जाने का तथ्य साबित है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण द्वारा बताई गई वादग्रस्त सम्पत्ति (मकान) में 1/2 हिस्सा हिस्से का हकदार है, साथ ही प्रतीप वाद के पैरा सं. 4 व परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित वेनसिंह की समस्त आराजियात भी प्रतिवादी सं. 1 के हक अधिकार की हैं। लिहाजा वादीगण का वाद खारिज किये जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 का प्रतीप वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त मकान एवं प्रतिवादी गुलाबसिंह, मेहताब कुंवर पत्नी वेणसिंह का गोदपुत्र होने से प्रतिपवाद से संलग्न परिशिष्ट ''ब'' में वर्णित आराजियात का प्रतिवादी सं. 1 को एकमात्र खातेदार अधिकारी घोषित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान् अधिवक्ता वादीगण ने प्रतीपवाद का खण्डन करते हुए यह तर्क दिया कि स्व. भंवरसिंह ने जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् जवाहरसिंह की माता मेहताब कुंवर को न तो कभी प्रतिवादी सं. 1 को गोद पुत्र के रूप में दिया, न ही मेहताब कुंवर द्वारा गोद लिया। हिन्दू दत्तक गृहण अधिनियम में किसी भी नाबालिग को गोद दिये जाने व लिये जाने से पूर्व बालक की माता एवं गोद लेने वाली स्त्री के पति की लिये जाने का आवश्यक प्रावधान है, परन्तु इस प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 की

ओर से साक्ष्य स्वरूप ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि उसकी प्राकृतिक माता ने कोई सहमति प्रदान की हो और न ही ऐसा कोई गोदनामा ही प्रदर्शित करवाया गया है, जिससे कि वास्तव में प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह को स्व. भंवरसिंह द्वारा मेहताब कुंवर को दत्तक दिये जाने का तथ्य साबित होता हो। प्रतिवादी सं. 1 ने केवल मौखिक आधार पर स्वयं को मेहताब कुंवर का गोदपुत्र होना साबित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है और दस्तावेज प्रदर्श ए—7, जो कि एक जमाबंदी की पुश्त पर लिखावट है, के आधार पर जवाहरसिंह की खातेदारी की भूमि को उसकी मृत्यु के पश्चात् धोखे से अपने प्राकृतिक दादा भूरसिंह द्वारा स्वयं के नाम दर्ज कराना बताते हुए उक्त जमीन गोदपुत्र होने से उसके अधिकार की होना बताया है, साथ ही उक्त दस्तावेज पर स्वयं के हस्ताक्षर होने से स्वयं को मेहताब कुंवर का दत्तक पुत्र साबित करने का प्रयास किया गया है, परन्तु यह दस्तावेज केवलमात्र जमीन बाबत् एक लिखावट है, जिससे कहीं भी यह साबित नहीं हो रहा है कि प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह, मेहताब कुंवर का गोदपुत्र हो, इसलिये जबकि प्रतिवादी सं. 1 स्वयं को मेहताब कुंवर का गोदपुत्र होना ही साबित नहीं कर पाया है, तो स्व. वेणसिंह के पुत्र जवाहरसिंह की मृत्यु के पश्चात् उनकी खातेदारी भूमि भूरसिंह स्व. जवाहरसिंह का बड़ा भाई होने से उसे हकदार मानते हुए विरासत से भूरसिंह के नाम दर्ज हुई हैं। जहां तक प्रदर्श ए—4ए लिखतम के जरिये भंवरसिंह पिता भूरसिंह द्वारा द्वारा वेनसिंह की जमीनों, जो भूरसिंह के जरिये भंवरसिंह को प्राप्त हुई, को प्रतिवादी सं. 1 गोदपुत्र होने से प्रतिवादी गुलाबसिंह के नाम करने का प्रश्न है, तो उक्त लिखतम में ऐसी कोई भूमियों का विवरण आराजी नंबर आदि भी अंकित नहीं है, जिससे कि यह साबित हो सके कि भंवरसिंह ने कौनसी आराजियात को गुलाबसिंह के नाम की, साथ ही उक्त स्टाम्प न तो नोटेरी तस्दीकशुदा है और न ही पंजीकृत है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह को भंवरसिंह द्वारा प्रतिपवाद में वर्णित भूमियां दिये जाने का तथ्य साबित नहीं होता है। विद्वान् अधिवक्ता का तर्क रहा कि प्रतिवादी सं. 1 स्वयं को

मेहताब कुंवर पत्नी स्व. वेणसिंह का गोदपुत्र होना किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाया है, इसलिये प्रतिवादी सं. 1 का प्रतीप वाद खारिज किया जावे और वादग्रस्त सम्पत्ति का विधिवत विभाजन का आदेश पारित किया जावे।

विद्वान् अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 3 लगायत 5 ने बहस के दौरान वादपत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह भी तर्क दिया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 स्व. भंवरसिंह जी के पुत्र एवं श्रीमती सूरज कुंवर उनकी पत्नी हैं। उनका यह भी तर्क रहा कि प्रतिवादी सं. 1 ने वेनसिंह का पुत्र जवाहरसिंह होना गलत बताया है, जगबकि जवाहरसिंह स्वर्गीय राजसिंह का पुत्र है, क्योंकि राजसिंह के दो पुत्र हुए जिनमें भूरसिंह व जवाहरसिंह हैं। वेनसिंह दूर के रिश्तेदार होने एवं मेहताब कुंवर से शादी के कुछ दिन बाद ही वेनसिंह का निधन हो जाने एवं कोई संतान उत्पन्न नहीं होने से प्रतिवादी सं. 5 सूरज कुंवर ने मेहताब कुंवर को ताउम्र अपने पास रखा। प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह मेहताब कुंवर के कभी गोदपुत्र नहीं रहा। वादग्रस्त भूमियां भूरसिंह जी के निधन के पश्चात् उनके पुत्र भंवरसिंह जी को विरासत से प्राप्त हुई तथा भंवरसिंह के निधन के बाद कृषि भूमियां व मकान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 उत्तराधिकारी होने से जन्म से उनके हक अधिकार की हैं। लिहाजा प्रतिवादी सं. 1 का प्रतीप वाद खारिज किया जावे एवं वादग्रस्त सम्पत्तियों का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 के मध्य विधिवत विभाजन करवाकर प्रत्येक पक्षकार को 1/7 हिस्से अनुसार कब्जा दिलाया जावे।

11. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में उभयपक्षकारान के अभिवचन आने के पश्चात् कुल 4 **विवाद्यक** विरचित किये गये हैं। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं उभयपक्षकारान की बहस की रोशनी में सभी विवाद्यकों का विवेचन निम्न प्रकार किया जा रहा है :–

साथ ही यह भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि विवाद्यक संख्या 1 व 2 का निस्तारण किये जाने से पूर्व विवाद्यक संख्या 3 व 4 का

निस्तारण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इन विवाद्यकों के माध्यम से ही पक्षकारान का सम्पत्ति में हिस्सा विनिश्चित होगा। यदि इन विवाद्यकों के माध्यम से प्रतिवादी सं. 1 स्वयं को स्वर्गीय वेणसिंह का दत्तक पुत्र साबित करने में सफल होता है तो कुल सम्पत्ति में स्वर्गीय भंवरसिंह की सम्पत्ति में प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह का हिस्सा नहीं होगा तथा वह स्वर्गीय वेणसिंह की सम्पत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी होगा। उक्त समस्त तथ्य स्वयं प्रतिवादी सं. 1 को साबित करने हैं :–

विवाद्यक संख्या–03 :–

12. उक्त विवाद्यक के माध्यम से प्रतिवादी सं. 1 को यह साबित करना है कि **"आया प्रतिवादी सं.1 गुलाबसिंह, जो भंवरसिंह का प्राकृतिक पुत्र है, को जवाहरसिंह की माता मेहताब कुंवर पत्नी वेणसिंह ने जवाहरसिंह की मृत्यु होने के पश्चात् गोद लिया, इस प्रकार प्रतिवादी सं.1 गुलाबसिंह, वेणसिंह व जवाहरसिंह का उत्तराधिकारी होने से परिशिष्ट (अ) में वर्णित आराजीयात भंवरसिंह पुत्र भूरसिंह व प्रतिवादी सं.1 गुलाबसिंह मुतबन्ना वेणसिंह की खातेदारी व आधिपत्य की हैं ?"**

इस विवाद्यक के संबंध में वादपत्र का अवलोकन करें तो वादीगण ने अपने वादपत्र में स्वर्गीय भंवरसिंह के परिवार कासजरा बताते हुए स्वयं वादीगण शम्भुसिंह व जयसिंह तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 गुलाबसिंह, नारायणसिंह, गोवर्धनसिंह व सुजानसिंह को भंवरसिंह के पुत्रगण होना बताया है तथा प्रतिवादिया सं. 5 श्रीमती सूरज कुंवर को स्वर्गीय भंवरसिंह की पत्नी होना बताया है। इस प्रकार वादी के कथनानुसार स्वर्गीय भंवरसिंह के कुल 7 उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें सहदायिकी के अनुसार प्रत्येक को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह ने अपना जवाबदावा पेश किया, जिसमें उसने स्वयं को स्वर्गीय भंवरसिंह का प्राकृतिक पुत्र तो बताया लेकिन कहा कि स्वर्गीय वेणसिंह के पुत्र जवाहरसिंह की मृत्यु के पश्चात् स्वर्गीय वेणसिंह की पत्नी मेहताब कंवर ने उसे गोद ले लिया था, इस कारण वह वेणसिंह का दत्तक पुत्र है तथा स्वर्गीय वेणसिंह की सम्पत्ति का एकमात्र उत्तराधिकारी है। इस संबंध में

प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह ने अपने जवाबदावे के पैरा सं. 1 एवं पैरा सं. 7 में इस प्रकार कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह, भंवरसिंह जी के जायन्दा पुत्र हैं, परन्तु भंवरसिंह जी ने जवाहरसिंह पिता वेणसिंह जी के स्वर्गवास पश्चात् जवाहरसिंह जी की माता मेहताब कुंवर पत्नी वेणसिंह जी को प्रतिवादी गुलाबसिंह को गोद दिया, इसलिये गुलाबसिंह के पिता का नाम वेणसिंह है। प्रतिवादी ने जवाबदावे में यह भी यह भी अभिवचन किया कि वेणसिंह के पुत्र जवाहरसिंह एवं वेणसिंह जी की पत्नी मेहताब कुंवर थी, लेकिन जवाहरसिंह का मेहताब कुंवर के जीवनकाल में स्वर्गवास हो जाने से मेहताब कुंवर पत्नी वेणसिंह ने प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह को गोद लिया। इस तरह गुलाबसिंह मुतबन्ना वेणसिंह प्रतिवादी सं. 1 स्व. जवाहरसिंह पिता वेणसिंह की जायदाद का वारिस रहा है। इसी प्रकार का कथन प्रतिवादी सं. 2 नारायणसिंह ने भी किया है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि क्या प्रतिवादी गुलाबसिंह यह साबित कर पाया है कि गुलाबसिंह को स्वर्गीय वेणसिंह की पत्नी द्वारा वेणसिंह एवं पुत्र जवाहरसिंह की मृत्यु के पश्चात् विधिक तौर पर गोद लिया गया एवं दिया गया। यद्यपि दत्तक गृहण का विवाद प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकरण में अवधारणीय नहीं है, लेकिन जिस सम्पत्ति के विभाजन का विवाद प्रश्नगत है तथा प्रतिवादी गुलाबसिंह के द्वारा जिस प्रकार एतराज लिये गये हैं उनका समुचित निस्तारण करने के लिए प्राथमिक तौर पर यह देखना होगा कि क्या प्रतिवादी गुलाबसिंह को मेहताब कुंवर के दत्तक पुत्र के रूप में दिया गया। स्वयं प्रतिवादी गुलाबसिंह ने ऐसा कोई दस्तावेज या उस रस्म के विषय में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिसके आधार पर दत्तक लिया जाना व दिया जाना साबित होता हो। इस संबंध में हमें **हिन्दू दत्तक गृहण अधिनियम, 1956** के प्रावधानों का अवलोकन करना होगा। इस अधिनियम की **धारा 6, 7, 8, 9, 10 तथा 11** में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन करें तो ये निम्न प्रकार हैं:–

धारा 06. विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं–कोई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि–

(1) दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो,

(2) दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य न रखता हो,

(3) दत्तक–व्यक्ति दत्तक में लिए जाने योग्य न हो, और

(4) दत्तक इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में न किया गया हो।

धारा 07–हिन्दू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य– किसी भी हिन्दू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त हो और अप्राप्तवय न हो यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले :

परन्तु यदि उसकी पत्नी जीवित हो जब तक कि पत्नी पूर्ण और अन्तिम रूप से संसास का त्याग न कर चुकी हो या वह हिन्दू न रह गई हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त की है तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नहीं लेगा।

स्पष्टीकरण–यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पतिनियां दत्तक के समय जीवित हों तो जब तक कि पूववर्ती परन्तुक में निनिर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की सम्मति अनावश्यक न हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी।

धारा 08. हिन्दू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य–कोई भी हिन्दू नारी, जो स्वस्थचित्त है और अप्राप्तवय नहीं है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है :

परन्तु यदि उसका पति जीवित है तो वह अपने पति की सहमति के सिवाय किसी पुत्र या पुत्री को तब तक दत्तक ग्रहण नहीं करेगी जब तक पति पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो या हिन्दू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त का है।

धारा 09. दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति–(1) अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की सामर्थ्य नहीं रखेगा।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पिता या माता को, यदि जीवित हैं, तो किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक देने का समान अधिकार होगा :

परन्तु ऐसे अधिकार का प्रयोग उनमें से किसी एक द्वारा अन्य की सहमति के सिवाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उनमें से एक पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो या हिन्दू न रह गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया हो कि वह विकृतचित्त का/की है।

(4) जहां माता और पिता दोनों मर चुके हों या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों या अपत्य को त्याग कर चुके हों या अपत्य को त्याग चुके हों या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उनके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वे विकृतचित्त हैं या जहां कि अपत्य की जनकता ज्ञात न हो, तो उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय को पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत स्वयं वह संरक्षक भी आता है, दत्तक दे सकेगा।

(5) न्यायालय किसी संरक्षक को उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व इस बात को ध्यान में रखकर कि अपत्य की आयु और समझने की शक्ति कितनी है, दत्तक दिए जाने के संबंध में अपत्य की इच्छा पर सम्यक् विचार करके अपना इस बारे में समाधार कर लेगा कि दत्तक दिया जाना अपत्य के लिए कल्याणकर होगा या नहीं और यह कि दत्तक देने के प्रतिफल स्वरूप कोई संदाय या इनाम ऐसे किसी संदाय या इनाम के सिवाय, जैसा कि न्यायालय मंजूर करे, अनुज्ञा के लिए आवेदन करले वाले ने न तो प्राप्त किया है और न प्राप्त करने का करार किया है और न किसी भी व्यक्ति ने आवेदन करने वाले को किया या दिया है और न ही करने या देने के लिए करार उससे किया है।

धारा 10. व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं–कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य न होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों, अर्थात् :–

(1) वह हिन्दू है,

(2) वह पहले ही से दत्तक नहीं लिया जा चुका है, या ली जा चुकी है,

(3) उसका विवाह नहीं हुआ है, तब तक सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो,

(4) उसने पन्देह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तब के सिवाय जब कि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ि या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का, जिन्होंने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो।

धारा 11. विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें–हर दत्तक में निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी होंगी :–

(1) यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिन्दू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र (चाहे धर्मज–रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो,

(2) यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता की, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिन्दू पुत्री, या पुत्र की पुत्री (चाहे

धर्मज–रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से) दत्तक के समय जीवित न हो,

(3) यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ा हो,

(4) यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम इक्कीस वर्ष बड़ी हो,

(5) वही अपत्य एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नही लिया जा सकेगा,

(6) दत्तक लिया जाने वाला अपत्य सम्पृक्त जनकों या संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुम्ब से जहां वह जन्मा हो (अथवा परित्यक्त अपत्य की दशा में या ऐसे अपत्य की दशा में जिसकी जनकता ज्ञात न हो, उस स्थान या कुटुम्ब से जहां वह पला हो) उसका दत्तक लेने वाले कुटुम्ब में उसे अन्तरित करने के आशय से वस्तुतः दिया और लिया जाएगा :

परन्तु दत्त होमम् का किया जाना किसी दत्तक की विधिमान्यता के लिए आवश्यक नहीं होगा।

हिन्दू दत्तक गृहण अधिनियम, 1956 में दिये गये उक्त प्रावधानों की रोशनी में यह देखना होगा कि क्या प्रतिवादी गुलाबसिंह यह साबित कर पाया है कि उसकी दत्तक रस्म हुई थी। उक्त धारा 8 के अनुसार दत्तक लिये जाने के समय यदि किसी स्त्री का पति जिंदा हो तो उसकी सहमति सामान्यतः आवश्यक है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में मेहताब कुंवर के पुत्र जवाहरसिंह व पति वेणसिंह की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिये वह अपने लिये किसी बालक को गोद ले सकती थी। धारा 9 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जिसके द्वारा बालक दत्तक में दिया जाना है उसकी पत्नी यदि जीवित है तो उसकी सहमति आवश्यक है, परन्तु सवयं प्रतिवादी गुलाबसिंह ने अपने जवाब में लिखा है कि उसे स्वर्गीय भंवरसिंह के द्वारा गोद दिया गया, इसका तात्पर्य यह है कि दत्तक में दिये जाने के लिए भंवरसिंह ने अपनी पत्नी प्रतिवादी सं. 5 सूरज कुंवर की सहमति नहीं ली थी। स्वयं सूरज कुंवर ने भी गुलाबसिंह को दत्तक दिये जाने के तथ्य से इन्कार किया है। इस प्रकार दत्तक दिये जाने में बालक की माता की

सहमति का अभाव दत्तक की प्रक्रिया को अविधिक बनाता है। धारा 10 में दिये गये प्रावधान के अनुसार दत्तक दिये जाने के समय बालक 15 वर्ष से कम उम्र का हो तथा अविवाहित हो, जब तक कि उस जाति में इसके विपरीत कोई रस्म न हो। इस संबंध में स्वयं प्रतिवादी गुलाबसिंह ने न तो यह स्पष्ट किया है कि जब उसे दत्तक में दिया गया तब उसकी उम्र क्या थी, न ही यह बताया गया है कि उसका दत्तक गृहण किस वर्ष में हुआ तथा उस वक्त वह विवाहित था अथवा अविवाहित था, दत्तक गृहण के लिए दत्तक दिये जाने एवं लिये जाने की कोई रस्म हुई अथवा नहीं तथा यदि हुई तो वह किसके समक्ष हुई। इस संबंध में प्रतिवादी पूर्णतः मौन है तथा उसने जवाबदावे एवं साक्ष्य में भी कोई कथन नहीं किया है। मात्र कुछ दस्तावेजात में पिता के रूप में नाम अंकित हो जाना दत्तक माने जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय के मतानुसार प्रतिवादी यह साबित करने में सफल नहीं रहा है कि वह स्वर्गीय वेणसिंह का दत्तक पुत्र है। लिहाजा प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त विवाद्यक को अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं हुआ है। तदनुसार विवाद्यक संख्या 3, प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या–04 :–

13. उक्त विवाद्यक के माध्यम से प्रतिवादी सं. 3 को यह साबित करना है कि **''आया राजस्व ग्राम हाक्यावास तहसील आमेट में आराजी नंबर 314 से 334 एवं 482,483, 490, 138, 141, 142, 495, 496, 601, 604 लगायत 614 कुल किता 41 कुल रकबा 50 बीघा 6 बिस्वा स्व० जवाहरसिंह के खातेदारी व अधिपत्य की रही, किंतु भूरसिंह द्वारा गलत रूप से उक्त आराजियात का स्वयं के नाम नामान्तरण खुलवा लिया और उसके पश्चात् उक्त आराजियात भूरसिंह के पुत्र भंवरसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई?''**

इस विवाद्यक के संबधं में प्रतिवादी सं. 1 की ओर से स्वयं को वेणसिंह का उत्तराधिकारी (दत्तक पुत्र) होने के नाते प्रतिदावे के पैरा सं.

3, 4, 5, 6 तथा 7 में कहा है कि वेणसिंह के जवाहरसिंह पुत्र एवं मुसम्मात मेहताब पत्नी होकर वारिस रहे तथा परिशिष्ट 1 (अ) में वर्णित साबिक आराजियात जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में खातेदारी हक अधिकार से दर्ज रही। जवाहरसिंह के कोई पुत्र नहीं होने से उसकी मृत्योपरांत जवाहरसिंह की माता मेहताब पत्नी वेणसिंह ने प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह को जाति रीतिरिवाज अनुसार अपने स्व. पति एवं स्वयं के लिए गोद लिया। राजस्व गांव हाक्यावास तहसील आमेट के साबिक आराजी नम्बर 314 लगायत 334 एंव 482, 483, 490, 138, 141, 142, 495, 496, 601, 604, लगायत 614 कुल किता 41 कुल रकबा 50 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्व० जवाहर सिंह पिता वेण सिंह उर्फ वेन सिंह निवासी हाक्यावास के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की रही। जवाहर सिंह पिता वेण सिंह उर्फ वेन सिंह का स्वर्गवास के पश्चात् उनकी माता मेहताब बाई उर्फ मेहताब कुंवर बेवा वेन सिंह वारिस रही, परन्तु भूरसिंह पिता राजसिंह निवासी हाक्यावास ने गलत रूप से पंचायत वालों से मिलिभगत कर अवैध रूप ये आराजीयात को अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया। जबकि कानुनन भूरसिंह पिता राजसिंह राजपुत स्व० जवाहर सिंह पिता वेन सिंह के उत्तराधिकारी नहीं हैं। स्व० जवाहर सिंह मृत्यु के परान्त उत्तराधिकारी माता मेहताब कुंवर उर्फ मेताब कुंवर पत्नि वेनसिंह विरासत से हक अधिकारी रही। प्रतिवादी संख्या 1 गुलाबसिंह, मेहताब कुंवर पत्नि वेनसिंह का गोद पुत्र होकर विधिक उत्तराधिकारी हैं। वादग्रस्त मकान का 1/2 भाग एंव प्रतिप वाद के कॉलम संख्या–4 में वर्णित आराजीयात का एक मात्र स्वामी प्रतिवादी संख्या 1 होकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदार कृषक के हैसियत से दर्ज किये जाने योग्य हैं। काउन्टर क्लेम के पैरा संख्या 4 में वर्णित जायदाद गलत रूप से स्व० जवाहर सिंह के बजाय अवैध नामान्तरकरण भुरसिंह के नाम दर्ज हुआ और उनकी मृत्यु उपरान्त भंवर सिंह पिता भूर सिंह के नाम दर्ज हो गया। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर स्व० जवाहर सिंह पिता वेण सिंह उर्फ वेन सिंह की उत्तराधिकारी जवाहरसिंह की माता मु० मेहताब कुवंर उर्फ मेहताब कुवंर के बाद मेहताब

कुवंर का गोद पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 होने से उनकी सम्पतियाँ प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई, परन्तु राजस्व अभिलेखों में गलत रूप से वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 5 के पूर्वाधिकारी भूरसिंह एवं भूरसिंह के बाद उनके पुत्र भंवर सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो जाने पर उक्त भूमियो को वापस प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करा देने के लिए दिनांक 05.09.2002 को लिखितम भी कर दी जिसमें वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2 से लगायत 4 ने भी अपने हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी सं. 2 ने अपने जवाबदावे में कहा है कि परिशिष्ट (अ) में वर्णित आराजियात भंवरसिंह पिता भूरसिंह की एवं गुलाबसिंह मुतबन्ना वेणसिंह के खातेदारी आधिपत्य उपयोग उपभोग की हैं। वेणसिंह के पुत्र जवाहरसिंह एवं वेणसिंह की पत्नि मेहताब कुवंर थी। जवाहरसिंह का मेहताब कुवंर के जीवनकाल में स्वर्गवास हो गया तो मेहताब कुवंर पत्नि वेणसिंह ने प्रतिवादी संख्या 1 गुलाबसिंह को गोद लिया। इस तरह गुलाबसिंह मुतबन्ना वेणसिंह प्रतिवादी संख्या 1 स्व० जवाहरसिंह पिता वेणसिंह की जायदाद का वारिस रहा हैं। जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के खातेदारी की भूमि भी गलत रूप से स्व० भंवरसिंह के पिता भूरसिंह के खातेदारी में अंकित हो जाने पर तारीख 05.09.2002 को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 ने गलत अंकन को स्वीकार कर जवाहरसिंह पिता वेणसिंह की जो सम्पतियां हैं, वह जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के उत्तराधिकारी गुलाबसिंह पिता वेणसिंह के नाम अंकित करा देने की लिखतम कर दी। इसी अनुसार से विभाजन से भूमियां प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इस प्रकरण में प्रतिवादी स. 1 गुलाबसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण गवाह के रूप में उसके पुत्र किशनसिंह ने डी.डब्ल्यू. 1 के रूप में न्यायालय में बयान देते हुए यह कहा है कि उक्त आराजियात गलत रूप से स्वर्गीय जवाहरसिंह जी के बजाय अवैध नामान्तरकरण भूरसिंह पिता राजसिंह के नाम दर्ज हुआ और उनकी मृत्यु उपरान्त भंवरसिंह जी पिता भूरसिंह जी के नाम दर्ज हो गया। वेणसिंह उर्फ वेनसिंह के उत्तराधिकारी स्वर्गीय जवाहरसिंह व मुसम्मात मेहताब कुंवर होने एवं जवाहरसिंह की

मृत्यु के बाद मेहताब कुंवर का गोदपुत्र प्रतिवादी सं. 1 होने एवं उनकी सम्पत्तियां प्रतिवादी सं. 1 स्व. गुलाबसिंह को प्राप्त होने की जानकारी होने पर उक्त भूमियों को वापस प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह के नाम करा देने के लिए भंवरसिंह द्वारा दिनांक 05.09.2002 को लिखतम की गई, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने भी अपने हस्ताक्षर किये। इस गवाह ने अपने कथनों के समर्थन में वह लिखतम प्रदर्श ए–4 न्यायालय में पेश की है जिसको स्वर्गीय भंवरसिंह द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में दिनांक 05.09.2002 को लिखी गई बताई गई है तथा उस लिखतम पर वादीगण के भी हस्ताक्षर होना बताया है, जवाहरसिंह पिता वेणसिंह के नाम की जमाबंदी प्रदर्श ए–6 तथा जवाहरसिंह की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरण खोले जाने के आदेश की प्रति प्रदर्श ए–7 तथा प्रदर्श ए–7 के क्रम में स्वयं जवाहरसिंह की आराजियात बाबत् जमाबंदी में भूरसिंह का नाम इंद्राज होने संबंधी जमाबंदी प्रदर्श ए–8 पेश की हैं। गवाह डी.डब्ल्यू. 1 किशनसिंह से जब जिरह की गयी तो इस गवाह ने जिरह में कहा कि उसके पिताजी गोद गये जिसके संबंध में लिखापढ़ी व दस्तावेज पेश किये हैं, जो लिखापढ़ी उसके जन्म होने से पहले की है, उसने वह लिखापढ़ी देखी है। प्रदर्श ए–4 लिखापढ़ी है, जो गोद के संबंध में है। गवाह ने लिखापढ़ी प्रदर्श ए–4 फर्जी तैयार किये जाने के तथ्य से इन्कार किया। गवाह ने उक्त लिखापढ़ी प्रदर्श ए–4 पर उसकी दादाजी के हस्ताक्षर होने से भी इन्कार किया। गवाह ने यह भी कथन किया कि उसके पिताजी वेणसिंह के गोद गये थे, परन्तु यह सही है कि प्रदर्श ए–4 पर वेणसिंह के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह सही है कि प्रदर्श ए–4 दस्तावेज पर वेणसिंह की पत्नी के हस्ताक्षर भी नहीं है। गवाह ने कथन किया कि भंवरसिंह जी की मृत्यु वर्ष 2015 में हुई थी। यह सही है कि भंवरसिंह की मृत्यु होने तक राजस्व अभिलेख में हाक्यावास गांव की भूमि गुलाबसिंह के नाम दर्ज नहीं हुई थी। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि आज भी उक्त जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में भंवरसिंह के बच्चे के रूप में गुलाबसिंह का नाम दर्ज है। यह सही है कि मेहताब कंवर ने गुलाबसिंह को गोद रखने की कोई

लिखापढ़ी नहीं की थी। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उपस्थित गवाह डी.डब्ल्यू. 1 किशनसिंह एक महत्वपूर्ण गवाह है जिसके बयानों का अवलोकन किये जाने पर यह तथ्य सामने आता है कि जिस दस्तावेज प्रदर्श ए–4 को यह गवाह गुलाबसिंह को गोद लिये जाने का दस्तावेज बता रहा है वह ऐसा नहीं है, बल्कि यह वह दस्तावेज है जिसके माध्यम से तथाकथित रूप से स्वर्गीय भंवरसिंह ने कुछ कृषि भूमि गुलाबसिंह को दिये जाने का जिक्र किया है। इस संबंध में पेश किये गये समस्त दस्तावेजात का यदि न्यायिक तौर पर अवलोकन किया जाये तो पाते हैं कि जवाहरसिंह के पिता वेणसिंह की मृत्यु होने पर कृषि भूमि का नामान्तरण उनके पुत्र जवाहरसिंह के नाम हुआ, जो प्रदर्श ए–6 से साबित है। जवाहरसिंह की मृत्यु पर उसके किसी भी उत्तराधिकारी द्वारा क्लेम नहीं किये जाने पर तथा स्वर्गीय भूरसिंह द्वारा दावा पेश करने पर पंचायत के द्वारा पूर्ण सुनवाई कर दिनांक 07.06.69 को स्वर्गीय जवाहरसिंह के नाम की कृषि भूमि का नामान्तरण भूरसिंह के नाम कर दिया गया। यद्यपि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है कि स्वर्गीय वेणसिंह की पत्नी तथा जवाहरसिंह की माता मेहताब कुंवर की मृत्यु कब हुई, परन्तु प्रदर्श 7 के आदेश के समय यदि वह जीवित भी थी तो भी उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि प्रदर्श ए–4 वास्तव में लिखा गया था तो फिर दावा पेश किये जाने की तिथि तक इस दस्तावेज की अनुपालना में राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करवाये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में आई मौखिक साक्ष्य के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा पेश किये गये दावे में बताई गई आराजी तथा समर्थन में पेश किये गये राजस्व अभिलेख से यह साबित होता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बताई गई आराजियात स्वर्गीय जवाहरसिंह की मृत्यु पर सर्वप्रथम वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के पूर्वज भूरसिंह के नाम अन्तरित हुई तथा भूरसिंह की मृत्यु के पश्चात् भंवरसिंह के नाम अन्तरित हुई एवं भंवरसिंह की मृत्यु के उपरान्त वादीगण

एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के नाम अंकित हुई। इससे स्पष्ट है कि जिस भूमि का विभाजन किये जाने का दावा पेश किया गया है उस संबंध में राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी सं. 1 गुलाबसिंह का नाम भी उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज है। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 की ओर से न तो यह साबित हो पाया है कि वह स्वर्गीय वेणसिंह का दत्तक पुत्र था तथा न ही किसी दस्तावेज से यह साबित होता है कि प्रतिवाद—पत्र में बताई गई आराजियात प्रतिवादी सं. 1 के नाम किया जाना न्यायोचित हो। अतः प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त विवाद्यक सं. 4 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार यह विवाद्यक प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 01 व 02 :—

उपर्युक्त दोनों विवाद्यकों के संबंध में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिये इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इन विवाद्यकों के माध्यम से न्यायालय को यह अवधारित करना है कि **''आया वादपत्र के पैरा सं. 2 व 5 तथा परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 की पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को सहदायिकी के आधार पर बराबर—बराबर का हिस्सा प्राप्त है, जिसे प्रत्येक पक्षकार प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में सम्पत्ति के प्रत्येक भाग में 1/7 हिस्सा है ?''**

14. वादीगण की ओर से पेश किये गये दावे में वादीगण ने उस सम्पत्ति जिसका विभाजन पक्षकारान में किया जाना है तथा जो सम्पत्ति वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 5 के पति की पुश्तैनी बताई गई है, का बंटवारा किये जाने का निवेदन किया है। पक्षकारान में जिस सम्पत्ति का विभाजन किया जाना है उसमें स्वर्गीय भंवरसिंह का रिहायशी मकान, जिसमें पक्षकारान वर्तमान में आपसी सहमति से निवास कर रहे हैं तथा वह कृषि भूमि जिसका विवरण वादीगण ने अपने दावे के साथ पेश किया गया, परिशिष्ट में बताया है। इस संबंध में वादीगण ने अपने वादपत्र में यह अंकित किया है कि स्वर्गीय भंवरसिंह के

स्वत्व एवं अधिकार का आवासीय मकान, गवाड़ी एवं खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम हाक्यावास, पटवार हल्का बीकावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द में स्थित हैं तथा स्वर्गीय भंवरसिंह पिता भूरसिंह के समय के ही मकान, गवाड़ी कृषि भूमियां ग्राम हाक्यावास में स्थित हैं, उक्त सभी सम्पत्ति वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को स्वर्गीय भंवरसिंह जी के उत्तराधिकारी होने से प्राप्त हुईं। भंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात् कृषि भूमियों का नामान्तरकरण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम खुल गया जो जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में दर्ज हैं। उक्त कृषि भूमि की खाता संख्या 16 हैं। स्वर्गीय भंवर सिंह के स्वामित्व के रिहायशी मकान, कमरे, बरामदे, चौक, गवाड़ी जो कि संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार की सम्पत्ति हैं, जिसका उपयोग–उपभोग भंवर सिंह के जीवनकाल से ही एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 अपनी सुविधा के अनुसार करते आ रहे हैं। उक्त सम्पत्ति में दक्षिण दिशा में प्रविष्ठ होकर आगे बांयी तरफ पूर्व दिशा में दो कमरे मय बरामदा हैं एवं दो पक्की रसोई बनी हुई हैं, उसके आगे चौक हैं व चौक के आगे दो अण्डर ग्राउण्ड हॉल हैं, उसके सामने गवाड़ी हैं, उसके आगे रतन सिंह, फतेह सिंह का मकान हैं, इसके आगे उत्तर दिशा में दो कमरे निचे व दो कमरे उपर बने हुए हैं. उसके आगे बरामदा है व बांयी तरफ दो कमरे हैं, उसके आगे चौक व होद बने हैं एवं पश्चिम दिशा में तीन कमरे व तीन रसोई हैं व उसके सामने बरामदा हैं एवं उसके आगे गवाडी हैं। उक्त गवाड़ी एवं रिहायशी मकान के पूर्व में अर्जुन सिंह का खेत, पश्चिम में रोड़ सिंह का मकान, उत्तर में फतेह सिंह व रतन सिंह का मकान व दक्षिण में आम रास्ता है। उपरोक्त चारों पड़ौसो के मध्य स्थित रिहायशी सम्पत्ति कमरे, चौक, रसोई, गवाड़ी आदि स्वर्गीय भंवर सिंह के समय की होकर अविभाजित संयुक्त जायदाद हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 5 के पति के निधन के पश्चात् ग्राम हाक्यावास की खाता संख्या 16 में वर्णित आराजीयात जिसका वर्णन वाद–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ (अ) में किया गया हैं जो वाद–पत्र का

अभिन्न अंग हैं। उक्त अविभाजित संयुक्त, स्वामित्व, आधिपत्य की सम्पत्तियां हैं। वादीगण की ओर से वादी शम्भुसिंह के बयान पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में न्यायालय में करवाये गये हैं, जिसमें स्वर्गीय भंवरसिंह के वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 को पुत्र के रूप में तथा प्रतिवादी सं. 5 को स्वर्गीय भंवरसिंह की पत्नी के रूप में उत्तराधिकारी होना बताया गया है तथा सहदायिकी के रूप में प्रत्येक को बराबर–बराबर हिस्सा जो कुल सम्पत्ति में 1/7 प्रत्येक का बनता है, दिलाये जाने का निवेदन किया है। वादी ने अपने बयान दिये जाने के समय जमाबंदी को प्रदर्श–1 के रूप में तथा मकान, जिनका बंटवारा किया जाना है, के फोटोग्राफ्स प्रदर्श 2 लगायत 6 तक प्रदर्शित करवाये हैं। वादी ने अपने बयान दिये जाने के समय जवाहरसिंह की खातेदारी की कृषि भूमि का भूरसिंह, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का दादा लगता था, के पक्ष में नामान्तरण से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श–7 तथा इस बाबत् जमाबंदी की नकल प्रदर्श–8 पेश की है। प्रतिवादी सं. 1 तथा 2 की ओर से जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें यह तो स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं. 1 स्वर्गीय भंवरसिंह का पुत्र है, परन्तु गुलाबसिंह को स्वर्गीय वेणसिंह की पत्नी द्वारा गोद लिया जाना कहा है तथा जवाहरसिंह की खातेदारी की भूमि को गलत तौर पर भूरसिंह द्वारा अपने नाम करवा लेना कहा है। इस संबंध में विवाद्यक संख्या 3 व 4 के निस्तारण के समय विनिश्चय किया जा चुका है। वादीगण की ओर से पेश की गयी जमाबंदी संवत 2074–2077 प्रदर्श–1 का अवलोकन किया गया। इस जमाबंदी में स्वर्गीय भंवरसिंह के उत्तराधिकारियों के रूप में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 का नाम अंकित है। प्रदर्श–7 के अनुसार स्वर्गीय जवाहरसिंह की कृषि भूमि का नामान्तरण विधिक तौर पर स्वर्गीय भंवरसिंह के पिता भूरसिंह के नाम किया गया है, जिसके लिए प्रतिवादी सं. 1 अथवा तत्कालीन जवाहरसिंह के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा किसी प्रकार का एतराज नहीं किया गया है। वादीगण की ओर से अपने वादपत्र में जिस रिहायशी मकान का वर्णन किया गया है उसके संबंध में भी प्रतिवादी सं. 1

व 2 की ओर से किसी प्रकार का ऐसा विपरीत कथन नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि वादीगण के बताये अनुसार पक्षकारान के निवास गृह नहीं हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5, स्वर्गीय भूरसिंह के प्रथम अनुसूची के वारिस हैं, अतः प्रत्येक को स्वर्गीय भंवरसिंह की जायदाद में बराबर—बराबर हिस्सा पाने का अधिकार है। लिहाजा कुल वादग्रस्त सम्पत्ति में से वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 प्रत्येक 1/7 हिस्सा पाने के अधिकारी हैं। तदनुसार विवाद्यक संख्या 1 व 2 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं, अतः उक्त दोनों विवाद्यक वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

विवाद्यक संख्या 05 (अनुतोष) :—

15. इस प्रकरण में विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा साबित किये गये हैं, जबकि प्रतिवादी सं. 1 अपने जिम्मे के विवाद्यक सं. 3 व 4 को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त सम्पत्ति का पक्षकारान के मध्य बराबर—बराबर हिस्से अनुसार विभाजन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि सम्पत्ति सभी पक्षकारान की संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति है, अतः जब तक पक्षकारान में सम्पत्ति का विभाजन अंतिम तौर पर नहीं हो जाता है तब तक यदि कोई भी पक्षकार इस सम्पत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन करता है या सम्पत्ति को अन्य विक्रय या किसी प्रकार से अन्तरित करता है तो निश्चित रूप से पक्षकारान के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा अनावश्यक विवाद बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में पक्षकारान में सम्पत्ति का वास्तविक विभाजन होकर हिस्से में आई सम्पत्ति का कब्जा एवं स्वामित्व प्राप्त नहीं होने तक पक्षकारान को विवादित सम्पत्ति में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करने बात् जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

तदनुसार वादीगण का वादपत्र बाबत् विभाजन डिक्री किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति के विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी होना पाया जाता है। तदनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। साथ ही न्यायालय के मतानुसार प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं को मेहताब कुंवर पत्नी स्व. श्री वेणसिंह का दत्तक पुत्र होना एवं विवाद्यक संख्या 3 व 4 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है, लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतीप वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

16. अतः वादीगण शम्भुसिंह व अन्य की ओर से प्रस्तुत वादपत्र बाबत् विभाजन पुश्तैनी मकान, गवाड़ी व कृषि भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर इस आशय की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है कि वादीगण ग्राम हाक्यावास, पटवार हल्का बीकावास, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द में स्थित वादपत्र के पैरा सं. 6 में वर्णित मकान व गवाड़ी तथा वादपत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 (प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/7) लगायत प्रतिवादी सं. 5 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्रत्येक के 1/7–1/7 हिस्से अनुसार विभाजन करवाकर प्रत्येक पक्षकार अपना–अपना कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिपवाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण व्यय स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(अल्का शर्मा)
जिला न्यायाधीश, राजसमन्द

17. निर्णय आज दिनाँक 27.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(अल्का शर्मा)
जिला न्यायाधीश, राजसमन्द

ALOK KUMAR SHARMA Digitally signed by ALOK KUMAR SHARMA Date: 2026.04.07 15:03:23 +05'30'